

## “Youth For Life”

### LiFE Volunteers के आवेदन हेतु नियम एवं प्रक्रिया

#### परिचय –

माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्ष 2021 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (CoP – 26) के दौरान ग्लासगो में पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए विश्व के सामने जीवन शैली में बदलाव हेतु "मिशन LiFE" का प्रस्ताव एक समाधान रूप में रखा था। इसके पश्चात अक्टूबर 2022 में केवड़िया, गुजरात में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की उपस्थिति में मिशन LiFE का Global Launch किया गया। मिशन LiFE का उद्देश्य है – व्यक्तिगत जीवन शैली में परिवर्तन लाकर पर्यावरण की समस्याओं का समाधान करना तथा सामान्य जनों को उनके दैनिक जीवन में पर्या-हितैषी बदलाव करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जो जलवायु परिवर्तन की चुनौती के समाधान में प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं।

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 23 मार्च 2023 को आयोजित युवा महापंचायत में व्यक्त किये गये संकल्प बिन्दु क्रमांक - 17, "LiFE- Lifestyle For Environment (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) हेतु युवा नेतृत्व विकास" के तारतम्य में **Youth for LiFE** प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदेश में आरंभ किया जा रहा है।

युवाओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने एवं पर्यावरण के क्षेत्र में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु "Youth for LiFE" कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक जिले में **LiFE Volunteers (स्वयंसेवी)** का चयन किया जाकर उन्हें मिशन LiFE की निम्नानुसार सात थीम पर प्रशिक्षित किया जायेगा :-

1. ऊर्जा की बचत एवं नवकरणीय ऊर्जा का उपयोग
2. जल की बचत एवं संरक्षण
3. सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करना
4. घरेलू कचरे में कमी लाना (स्वच्छता संबंधी कार्य)
5. स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना
6. सतत एवं शाश्वत भोजन पद्धति को बढ़ावा देना
7. ई-वेस्ट का उचित निष्पादन

#### अर्हतायें –

LiFE Volunteer (स्वयंसेवी) के लिए आवेदन करने हेतु निम्नलिखित अर्हतायें आवश्यक हैं :-

- आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु दिनांक 01.06.23 को अधिकतम 29 वर्ष होना चाहिए।
- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए।

#### चयन प्रक्रिया-

- आवेदन हेतु पंजीयन एवं नियम निर्देशिका हेतु [www.epco.mp.gov.in](http://www.epco.mp.gov.in), [www.swa.mp.gov.in](http://www.swa.mp.gov.in), [www.ecoclub.mp.gov.in](http://www.ecoclub.mp.gov.in), [www.climatechange.mp.gov.in](http://www.climatechange.mp.gov.in) एवं अन्य शासकीय वेबसाइट्स पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाईन किया जाना है।
- आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में स्व-विवरण, शैक्षणिक योग्यता आदि जानकारी दी जाना आवश्यक है।

- आवेदन की अंतिम तिथि **30 मई 2023** है।
- प्रदेश के प्रत्येक जिले से प्राप्त आवेदनों की जिलेवार सूची संबंधित जिला कलेक्टर को प्रेषित की जाएगी।
- संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा योग्य आवेदकों का चयन कर चयन सूची कार्यपालन संचालक, एपको को प्रेषित की जायेगी।
- ऑनलाईन आवेदनों के अतिरिक्त, जिला कलेक्टर्स अपने जिले के ऐसे युवाओं को, जो पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं, को भी अपने स्वविवेक से नामांकित कर सकते हैं।
- मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले से अधिकतम कुल 35 (7 मिशन LiFE थीम से प्रत्येक थीम हेतु 5) LiFE वॉलंटियर चयनित किए जाएंगे।
- जिला स्तर पर चयन में इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि यथा संभव शहरी, ग्रामीण क्षेत्रों तथा महिला-पुरुष प्रतिभागियों का संतुलन बना रहे।

### सामान्य नियमावली-

- पंजीयन पूर्णतः निःशुल्क है एवं चयनित LiFE volunteers का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी पूर्णतः निःशुल्क है।
- प्रशिक्षण में उपस्थित प्रतिभागियों को यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ते की निश्चित राशि ऑनलाईन माध्यम से प्रतिभागियों के बैंक खाते में प्रदान की जायेगी। प्रशिक्षण के दौरान भोजन की व्यवस्था एपको अथवा आयोजक संस्था द्वारा की जायेगी।
- प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम का स्थान, समय एवं तिथि की सूचना जिला प्रशासन व चयनित प्रतिभागियों को उनके E-mail तथा WhatsApp नम्बर पर पृथक से दी जायेगी।
- चयनित LiFE वॉलंटियर्स के लिए मिशन LiFE के सिद्धांतों पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एपको), पर्यावरण विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा किया जायेगा।
- LiFE volunteers को पर्यावरण के क्षेत्र में अनुभवी एवं विषय के निष्णात प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र दिये जायेंगे।
- LiFE volunteers को किसी प्रकार का वेतन / मानदेय इत्यादि देय नहीं होगा।
- किसी विवाद, संशय अथवा अस्पष्टता की स्थिति में, कार्यपालन संचालक, एपको, भोपाल का निर्णय अंतिम और मान्य होगा।

**विशेष-** यह स्पष्ट किया जाता है कि Youth for LiFE कोई रोजगार मूलक या आजीविका संबंधी कार्यक्रम नहीं है। जो युवा साथी स्वेच्छा से समाज में पर्यावरण के प्रति जन चेतना लाने में योगदान देना चाहते हैं तथा स्वयं उदाहरण प्रस्तुत कर परिवर्तन के वाहक की भूमिका का निर्वहन करना चाहते हैं, उन युवाओं के प्रबोधन हेतु यह एक प्रशिक्षण का प्रकल्प मात्र है।



पंजीयन हेतु स्कैन करें

आवेदन हेतु QR Code को स्कैन करें अथवा इस लिंक पर क्लिक करें  
[https://epco.mp.gov.in/youth\\_form](https://epco.mp.gov.in/youth_form)